:: कार्यालय, निमाड़ क्लब समिति, खंडवा ::

सिविल लाईन्स, खण्डवा, पिन कोड – 450001

पत्र क्रमांक / 14 / निमाड क्लब / 26 — खंडवा दिनांक : 5 / 5 / 2026

निविदा आमंत्रण

कार्यकारिणी समिति द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक 13 दिनांक 5/5/26 पोर्टल टेण्डर क्रमांक 2026_RES_505296 दिनांक 5/5/26 निमाड़ क्लब समिति खण्डवा के Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के PPP मोड पर संचालन एवं रखरखाव हेतु 10 वर्ष के लिये मासिक किराये के अंतर्गत बेस रेंट 75,000/– रू. (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) पर ऑनलाईन (Online) निविदा म.प्र. शासन की वेबसाईट (पोर्टल) www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जाती है।

ऑनलाईन (Online) निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी "ई टेंडर में भाग लेने हेतु प्रक्रिया" शीर्षक अंतर्गत अनुलग्न "ए" पर दी गई है।

निविदा प्रपत्र म.प्र. शासन की वेबसाईट (पोर्टल) www.mptenders.gov.in पर राशि रूपये 500रू (पांच सौ रूपये मात्र) में क्रय किया जा सकता है। प्रत्येक निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता के द्वारा निविदा हेतु EMD राशि (Earnest Money Deposit) राशि 5,00,000/– (पांच लाख) का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जा सकता है। अन्य किसी भी रूप में EMD राशि (Earnest Money Deposit) मान्य नहीं होगी। ऑनलाईन निविदा संबंधी आवश्यक तिथियों का विवरण निम्नानुसार है –

क्र	विवरण	दिनांक	समय एवं स्थान
01	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय	बुधवार 06/05/2026	प्रातः 11 बजे से
02	प्री बिड मिटिंग	बुधवार 13/05/2026	प्रातः 11 बजे से (कार्यालय जिला पंचायत खण्डवा)
03	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र अपलोड/जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	मंगलवार 26/05/2026	सायं 05 बजे तक
04	ऑफलाईन निविदा प्रपत्र लिफाफा–सी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	गुरूवार 28/05/2026	सायं 05 बजे तक (कार्यालय जिला पंचायत खण्डवा में)
05	ऑनलाईन तकनीकि निविदा खोलने की तिथि एवं समय	शुक्रवार 29/05/2026	प्रातः 11 बजे
06	तकनीकि निविदा में प्राप्त दस्तावेजों की जांच करने की दिनांक	शुक्रवार 29/05/2026	दोपहर 03 बजे से
07	टेक्निकल मिटिंग	सोमवार 01/06/2026	दोपहर 03 बजे से (कार्यालय जिला पंचायत खण्डवा में)
08	ऑनलाईन वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक	गुरूवार 04/06/2026	दोपहर 04 बजे

(डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा)
IAS
सचिव, निमाड़ क्लब खण्डवा एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, खण्डवा

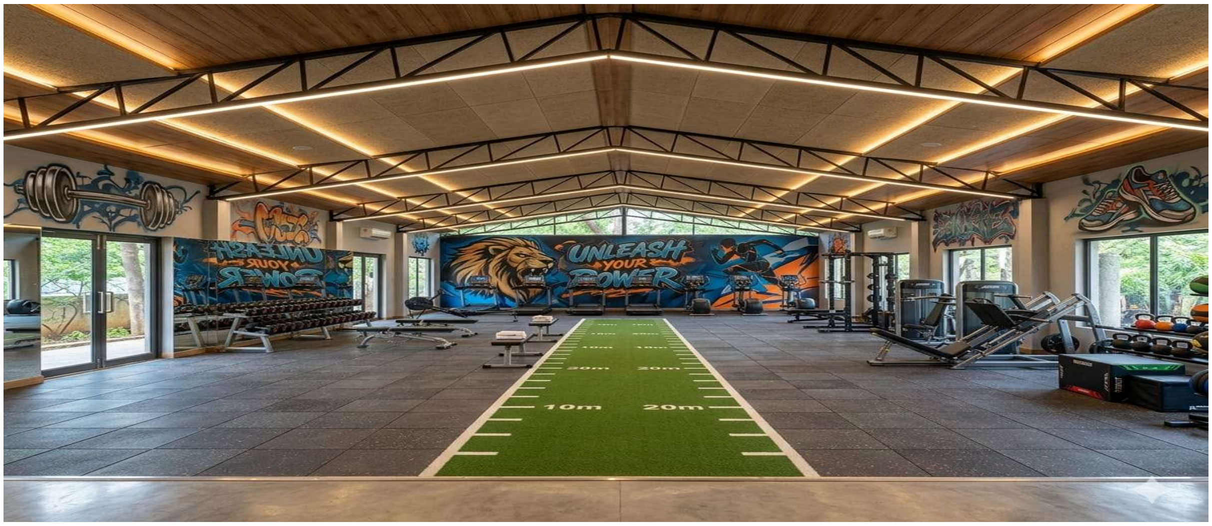
UNLEASH YOUR POWER
10m
20m

NIMAAD CLUB

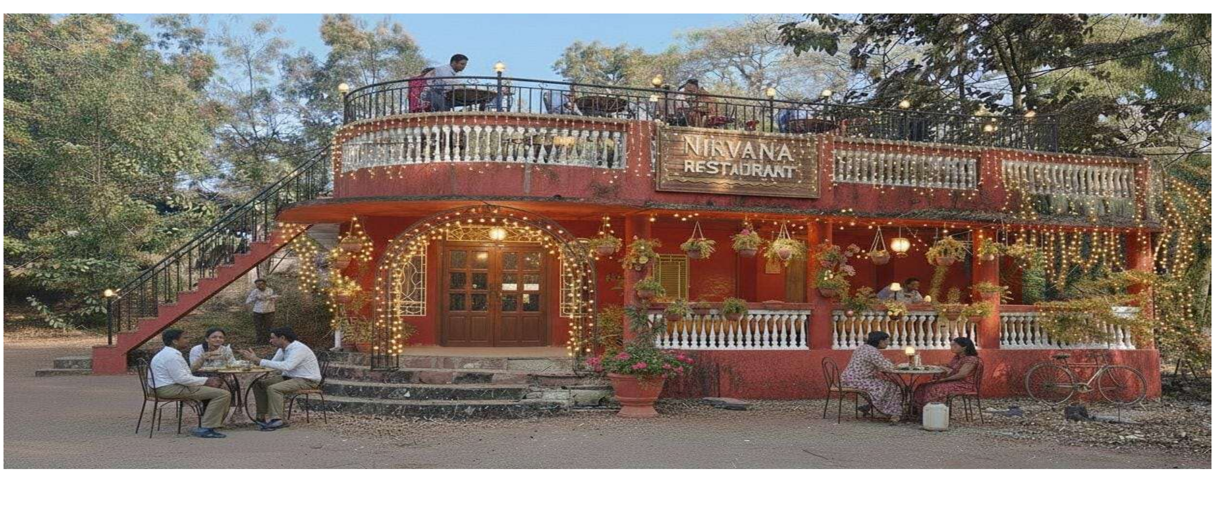
NIRVANA
RESTAURANT

निविदा दस्तावेज

विज्ञप्ति क्रमांक ....दिनांक ....पोर्टल टेण्डर क्रमांक ....के संदर्भ में निमाड़ क्लब समिति खण्डवा (म.प्र.) के Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट का PPP मोड पर संचालन एवं रखरखाव हेतु 10 वर्ष के लिये मासिक किराये के अंतर्गत आवंटन हेतु इच्छुक कंपनी/संस्थान/फर्म उनके प्रस्ताव नीचे अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते है।

निविदा दस्तावेज में निम्न पांच भाग सम्मिलित है :–

भाग एक	:	Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबद्
भाग दो	:	शपथ पत्र का प्रपत्र
भाग तीन	:	Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु निबन्धन तथा शर्तें
भाग चार	:	निविदा प्रपत्र
भाग पांच	:	तकनीकी निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज

भाग एक :

Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के PPP मोड पर संचालन एवं रखरखाव हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबद्

(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, लिफाफा 'ए' /पेकेट–1 अर्थात् पात्रता लिफाफे में ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल www.mptenders.gov.in पर अपलोड किया जाए)

एक : निविदा तथा Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के PPP मोड पर संचालन एवं रखरखाव हेतु मासिक किराये हेतु पात्रता

1. विज्ञापन में Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के PPP मोड पर संचालन एवं रखरखाव हेतु मासिक किराये की प्रस्तुति हेतु केवल एक निविदा प्रपत्र ही लागू होगा।
2. अवयस्क द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा को ग्रहण नहीं किया जाएगा तथ उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
3. निविदा में केवल कंपनी /फर्म/सोसाइटी/संस्था ही भाग ले सकती है। इसमे Consortium या Joint Venture भी भाग ले सकेंगे। एकल व्यक्ति निविदा मान्य नहीं होगी।

दो : निविदा दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रक्रियाः–

(अ) ऑनलाईन निविदा प्रपत्र प्रस्तुतीकरण के लिए प्रक्रियाः–

क्रं.	पैकिट का नाम	ऑनलाईन दस्तावेज जो प्रस्तुत करना है
1	Packet-1 (लिफाफा 'ए')	EMD राशि (Earnest Money Deposit) की ऑनलाईन जमा रसीदों की स्केन्ड कॉपी इस पैकिट के अंतर्गत अपलोड करना है। निविदा प्रपत्र तथा निविदा प्रपत्र में उल्लेखानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है।
2	Packet-2 (लिफाफा 'बी')	जिस मासिक दर पर आप Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव के लिये लेना चाहते है, Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट की मासिक किराये की दर इस पैकिट के अंतर्गत BoQ एक्सेल शीट के दर वाले कॉलम में दर्ज करना है। साथ ही निविदादाता को अपना नाम Name of the bidder में दर्ज करना आवश्यक है।

तीन : निविदा की वैधता तथा निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) की वापसी एवं समपहृत (राजसात)

1. निविदाएं निविदा प्राप्ति की नियत तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेंगी।
2. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के द्वारा विज्ञापन/निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जा सकेगा। अन्य किसी भी रूप से EMD राशि (Earnest Money Deposit) मान्य नहीं होगी।
3. अन्य निविदा प्रस्तुतकर्ता, जिनकी निविदाएं, स्वीकार न की गई हों, निविदा लिफाफा खोलने की तारीख से दो माह के भीतर निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) वेबसाईट पोर्टल से सीधे ऑनलाईन लौटा दी जाएगी।

4. A सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता जिसका प्रस्ताव **कार्यकारिणी समिति** द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो तथा वह प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा
   B निविदा दस्तावेज में भुगतान के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट समयावधि के भीतर परफॉरमेंस सेक्यूरिटी राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा
   C पात्रता से संबंधित तथ्यों/जानकारी के संबंध में मिथ्या प्रस्तुतीकरण किया जाना पाया गया हो,
   उक्त स्थितियों निविदा प्रस्तुतकर्ता की निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) जो पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है को समपहृत (राजसात) कर ली जाएगी।

चार : प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

1. **निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) हेतु रूपये 5,00,000** (पांच लाख) राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जाना होगा।
2. अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार हैं :–

अ. किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रकृत कम्पनी/संस्था/फर्म/सोसायटी हेतु

A) इकाई द्वारा निविदा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी संकल्प।
B) निविदा प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ–पत्र
C) इकाई के निगमन (incorporation) का प्रमाण (संस्था के ज्ञापन तथा लेख/भागीदारी विलेख/न्यास विलेख/सोसाइटी/संगठन/संयुक्त उद्यम आदि के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज आदि।
D) Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव के लिये निविदा की प्रस्तुती हेतु अनुदेशों की हस्ताक्षरित प्रति तथा Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव के आवंटन हेतु निबंधन तथ शर्तें की हस्ताक्षरित प्रति।
E) यदि इसमे Consortium या Joint Venture के रूप में भाग ले रहे हैं तो संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज।
F) अन्य कोई दस्तावेज (जैसा कि **कार्यकारिणी समिति** द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए)

3. आवश्यक अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजो, निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) के बिना प्रस्तुत निविदा अस्वीकार योग्य है। तथापि, कार्यकारिणी समिति अपने अनन्य विवेकाधिकार से किसी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगी, जैसा कि वह दस्तावेज के सत्यापन/उनकी पर्याप्तता के बारे में पुष्टि और/या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।
4. लिफाफा 'ए' में वित्तीय प्रस्ताव/निविदा से संबंधित कोई जानकारी अंतर्विष्ट नहीं की जाएगी तथा लिफाफा 'ए' में यदि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसे निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
5. लिफाफा 'बी' में केवल निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र (BoQ) अंतर्विष्ट होगा।

पांच : निविदा प्रस्तुत की नियत तारीख तथा निविदा प्रपत्रों को खोलना :—

1. निविदा संबंधी प्रमुख तिथियां

क्र	विवरण	दिनांक	समय एवं स्थान
01	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय	बुधवार 06/05/2026	प्रातः 11 बजे से
02	प्री बिड मिटिंग	बुधवार 13/05/2026	प्रातः 11 बजे से (कार्यालय जिला पंचायत खण्डवा)
03	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र अपलोड/जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	मंगलवार 26/05/2026	सायं 05 बजे तक
04	ऑफलाईन निविदा प्रपत्र लिफाफा—सी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	गुरूवार 28/05/2026	सायं 05 बजे तक (कार्यालय जिला पंचायत खण्डवा में)
05	ऑनलाईन तकनीकि निविदा खोलने की तिथि एवं समय	शुक्रवार 29/05/2026	प्रातः 11 बजे
06	तकनीकि निविदा में प्राप्त दस्तावेजों की जांच करने की दिनांक	शुक्रवार 29/05/2026	दोपहर 03 बजे से
07	टेक्निकल मिटिंग	सोमवार 01/06/2026	दोपहर 03 बजे से (कार्यालय जिला पंचायत खण्डवा में)
08	ऑनलाईन वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक	गुरूवार 04/06/2026	दोपहर 04 बजे

2. निविदा खोलने के प्रथम चरण में लिफाफा—ए/पैकेट—1 खोला जाएगा। कार्यकारिणी समिति द्वारा निविदा प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा।
3. टेक्निकल मिटिंग में तकनीकी मूल्यांकन हेतु सभी निविदाकारों को पूर्व अनुभव, संचालन एवं संधारण हेतु कार्ययोजना, अधोसंरचना का प्रयोग और कैसे इसे लाभदायी बनाया जायेगा, मार्केटिंग एवं प्रमोशन की योजना आदि बिन्दुओं पर अपना एक प्रेजेंटेशन देना अनिवार्य होगा। कार्यकारिणी समिति के पास उक्त प्रेजेंटेशन के मूल्यांकन के आधार पर किसी निविदाकार को इसी स्तर पर रिजेक्ट करने का अधिकार होगा। (पीपीटी में उपरोक्त सभी बिन्दुओं की जानकारी सम्मिलित होना आवश्यक है।)
4. तकनीकी बिड के लिये **पात्रता हेतु अंको का निर्धारण अनुलग्नक—बी** के अनुसार किया जावेगा। जिसमें कम से कम 60 अंक प्राप्त करने वाले निविदादाता ही वित्तीय बिड खोले जाने हेतु पात्र होगे।
5. दस्तावेजों के परीक्षण एवं उक्तानुसार मूल्यांकन के पश्चात, केवल पात्र पाये गये निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के वित्तिय निविदा लिफाफा—बी/पैकेट—2 को खोला जाएगा।

छह : उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ता की घोषणाः—

1. Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव के लिये अधिकतम मासिक दर के प्रस्ताव निर्धारित मासिक मूल्य से नीचे की निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
2. सामान्यतः ऐसे उच्चतम दर के निविदा प्रस्तुतकर्ता को, जो प्रस्ताव में अधिकतम दर (H-1) अंकित करता है, निविदा लिफाफों को खोलने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यधीन रहते हुए चयनित निविदा प्रस्तुतकर्ता घोषित किया जाएगा।

3. प्रस्तुत की गई निविदा का अंतिम परिणाम निविदा लिफाफा खोलने के अधिकतम 15 दिवस या इसके पूर्व के भीतर घोषित किया जाएगा तथा इसे जिला प्रशासन की वेबासाईट www.khandwa.nic.in पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
4. कार्यकारिणी समिति को प्राप्त निविदा/समस्त निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

सात : पते में परिवर्तन तथा निविदा प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति का पता लगाना एवं Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट का भौतिक सत्यापनः–

1. निविदा प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा प्रस्तुतकर्ता से पत्र–व्यवहार हेतु उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में कार्यकारिणी समिति को लिखित में सूचित किया जाएगा।
2. कार्यकारिणी समिति किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या, किसी प्रकार के डाक संबंधी विलंब के कारण किसी कार्यवाही में विलंब के लिये किसी भी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
3. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे www.mptenders.gov.in वेबासाईट पर निविदा के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।
4. निविदा प्रस्तुतकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव के लिये भौतिक निरीक्षण के पश्चात निविदा प्रस्तुत करें। निविदा स्वीकृति पश्चात कोई भी आपत्ति ग्राह्य नही होगी।

भाग–दो :

शपथ–पत्र हेतु प्रपत्र

(लिफाफा 'ए'/पेकेट–1 : पात्रता लिफाफा में प्रस्तुत किया जाए)

(शपथ पत्र को रूपये 1000/–के गैर–न्यायिक स्टाम्प (Non-judicial stamps) पर सम्यक् नोटरी प्रमाणीकरण पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)

शपथ–पत्र (Affidavit)

(कार्यकारिणी समिति के Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव के संबंध में अपेक्षणीय)

1. मैं, शपथकर्ता शपथ पत्र पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूं कि :
   मेरा नाम : ....
   पिता/पति का नाम : ....
   पता : ....
   व्यवसाय : ....
   आयु : ....
   वार्षिक आयु : ....
2. यह कि मैं ....(नाम) .... (निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम) की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूं तथा मूझे इकाई के संकल्प अनुसार, की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है **(ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता कोई कम्पनी/फर्म/इकाई है)।**
3. यह कि मैं ....(नाम) .... (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम) को संलग्न शपथ–पत्र के अनुसार मेरी ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर रहा हूं (ऐसे प्रक्ररण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रस्तुतकर्ता की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है)
4. यह कि निविदा प्रपत्र के अंतर्गत प्रदान की गई समस्त जानकारी सही है तथा इसमें किन्हीं भी सारभूत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।
5. यह कि मैंने निविदा संबंधी निबंधन तथा शर्तों तथा Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव के बारे में कार्यकारिणी समिति के नियमों को पूर्णतः समझ लिया है तथा ये निबन्धन तथा शर्तें / नियम मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य है।
6. यह कि यदि निविदा के अंतर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी जानकारी को गलत / दुर्व्यपदेषनकारी पाया जाता है, तो कार्यकारिणी समिति को मेरी निविदा को अस्वीकार करने तथा EMD राशि (Earnest Money Deposit) को समपहृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा तत्पश्चात इस निविदा के अंतर्गत आवंटित की गई Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं संधारण को भी रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।
7. **यह कि यह शपथ–पत्र कार्यकारिणी समिति द्वारा विज्ञापित Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव के मासिक किराये के आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत किया जा रहा है।**

दिनांक :

....

शपथकर्ता

(निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

:: सत्यापन ::

मैं, ...पिता / पति श्री .... सत्यापित करता हूं / करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। यह सत्यापन आज दिनांक .... को किया गया ।

दिनांक :

....

शपथकर्ता

(निविदा प्रस्तुतकर्ता / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

1. जो लागू न हो तथा अनवाश्यक हो, उसे शपथ–पत्र में शामिल न करें।
2. उपर दिय गये प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया शपथ–पत्र मान्य नहीं होगा।

भाग–3 :

Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के PPP मोड पर संचालन एवं रख–रखाव के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्ते

(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर लिफाफा–ए / पैकेट–1 अर्थात पात्रता लिफाफा में प्रस्तुत की जाए)

संपत्ति का संक्षिप्त विवरण

- संपत्ति का नाम :– Banquet hall, जिम, कैफे, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट
- अवधि :– 10 वर्ष
- निर्मित क्षेत्रफल :– क्रमशः–2400, 2400, 1600, 6000 एवं 3000 वर्ग फिट
- पार्किंग क्षमता :– निमाड़ क्लब परिसर में उपलब्ध पार्किंग स्थल
- मुख्य सुविधायें :– शहर के मध्य, सुगम पहुँच, शांत एवं सुरम्य वातावरण
- अन्य सुविधाएं :– कैफे के पीछे बगीचा विकसित किये जाने हेतु स्थल

PPP मोड पर निमाड़ क्लब समिति खण्डवा के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल पंजीकृत सोसायटी, समिति एवं फर्म / कंपनी आदि ही मान्य होंगे– इसमे Consortium या Joint Venture भी भाग ले सकेंगे।

1. निविदा स्वीकृति एवं आवंटन

1.1 निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा स्वीकृति के उपरांत 10 वर्षो के लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी की गई निविदा के माध्यम से तय किए गए रूपये प्रतिमाह के मासिक किराये पर Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट का आवंटन जारी किया जाएगा।

1.2 निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा की स्वीकृति के बाद आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर रूपये 1000/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamp) अनुबन्ध–पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूर्ण न करने की स्थिति में EMD राशि (Earnest Money Deposit) राजसात कर ली जावेगी।

2. संचालन एवं रख–रखाव की विशेष शर्ते

2.1 उक्त Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव के अन्तर्गत आवंटन उपरांत Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट में वाद विवाद कि स्थिति में समस्त प्रकार के न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदेही एवं समस्त प्रकार के हर्जे–खर्चे का उत्तरदायित्व निविदादाता का रहेगा तथा न्यायालयीन प्रकरणों में समस्त क्षेत्राधिकार जिला खण्डवा रहेगा।

2.2 Banquet hall की बुकिंग हेतु ऑनलाईन बुकिंग सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

3. दस्तावेजों की स्वीकृति

3.1 विज्ञापन के अंतर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन तथा भाग–एक, भाग–दो, भाग–तीन भाग–चार व भाग–पांच निविदा दस्तावेज के अभिन्न भाग है।

भाग एक	:	Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबद्
भाग दो	:	शपथ पत्र का प्रपत्र
भाग तीन	:	Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु निबन्धन तथा शर्तें
भाग चार	:	निविदा प्रपत्र
भाग पांच	:	तकनीकी निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज

3.2 निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को भाग–एक, भाग–दो, भाग–तीन तथा भाग–चार के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें लिफाफा ''ए पात्रता दस्तावेज'' में प्रस्तुत करना होगा, साथ ही भाग चार (निविदा प्रपत्र–1) की हार्डकॉपी में दरें अंकित नहीं करना है, दर केवल लिफाफा ''बी'' BoQ एक्सेल शीट के दर वाले कॉलम में ही दर्ज करना है। यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो कार्यकारिणी समिति इस कारण से निविदा प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी नही होगा। कार्यकारिणी समिति द्वारा मासिक किराये पर आवंटित संपत्ति के संबंध में–पत्राचार, ई–मेल आई.डी. पर सूचित किया जा सकेगा– 'जिसे आपको सूचना प्राप्त हो गई हैं', यह माना जावेगा।

4. Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट का संक्षिप्त विवरण–

4.1 परिसम्पत्ति का नामः **Banquet hall एवं जिम**

- लीज अवधिः– 10 वर्ष
- निर्मित क्षेत्रफलः– 4800 वर्ग फिट
- मुख्य सुविधाएंः– शहर के मध्य, सुगम पहुँच, शांत एवं सुरम्य वातावरण
- अन्य सुविधाएंः– कैफे के पीछे बगीचा विकसित किये जाने हेतु स्थल।

4.2 परिसम्पत्ति का नामः– **कैफे**

- लीज अवधिः– 10 वर्ष
- निर्मित क्षेत्र :– 1600 वर्ग फिट

4.3 परिसम्पत्ति का नामः– **बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट**

- लीज अवधिः– 10 वर्ष
- निर्माण हेतु उपलब्ध क्षेत्र :– 9000 वर्ग फिट

5. वित्तीय दायित्व एवं किराया वृद्धि

5.1 Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट हेतु न्यूनतम मासिक किराया 75000/- (पचहत्तर हजार रूपये) होगा। जिस पर सामान्य रूप से अधिकतम किराया दर प्रस्तुत करने वाली फर्म/संस्था का चयन किया जावेगा।

5.2 निविदादाता को स्वीकृति होने के उपरांत **परफॉरमेंस सिक्युरिटी राशि रूपये 20,00,000 (बीस लाख रूपये मात्र)** जो कि चेक/डीडी के रूप में जमा कराना होगा पश्चात् आवंटन पत्र जारी किया जावेगा।

5.3 मासिक किराये में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी।

5.4 आवंटन पत्र प्रदाय किये जाने के तीन माह पश्चात की दिनांक से किराया देय होगा।

5.5 आवंटन पश्चात के पानी की व्यवस्था हेतु वाटर कनेक्शन, विद्युत संयोजन, तथा सफाई की व्यवस्था एवं संपत्ति कर उसके मासिक बिलो का भुगतान तथा निमाड़ समिति क्लब के समस्त करो का वहन निविदादाता को करना होगा।

5.6 विद्युत संयोजन हेतु आवश्यक एवं निर्धारित क्षमता का विद्युत कनेक्शन का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा।

6. संसाधनों की देखरेख एवं रखरखाव

6.1 निविदादाता संपत्ति में उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं/अन्य सुविधाओं के किसी भी प्रकार की खराबी/बंद होने के लिए जिम्मेदार होगा तथा 48 घंटे के भीतर तत्काल आधार पर त्रुटि को सुधारना होगा।

6.2 निविदादाता को निमाड़ क्लब के चारों ओर लगे हुए पेड़–पौधों की यथा आवश्यक कटिंग (केवल सौंदर्यीकरण व अवरोध रोधी व्यवस्था हेतु), समुचित रख–रखाव तथा सुरक्षा करनी होगी।

6.3 परिसर में स्थापित समस्त उपकरण की सुरक्षा की जवाबदारी निविदादाता की होगी।

6.4 निविदादाता को सौंपी गई सुविधा की सफाई और रख–रखाव की जिम्मेदारी वहन करनी होगी। निविदादाता परिसर को पूर्णतः स्वच्छ स्थिति में प्रदान करने के लिए नियमित रूप से/हर समय सौंपे गए परिसर की सफाई करेगा। निविदादाता नालियों, मैनहोल आदि में किसी भी तरह की रूकावट को दूर करेगा, संपत्ति और उसके परिसर से मधुमक्खियों के छत्ते और मकड़ी के जाले हटाएगा, छतों की सफाई करेगा और झाड़ू/मशीनीकृत सफाई करेगा, साइनेज की सफाई करेगा। सभी डस्टबिन को अंदर और बाहर से ठीक से साफ किया जाना चाहिए और दिन के अंत में नियमित रूप से निर्दिष्ट स्थान पर खाली किया जाना चाहिए। निविदादाता सूखे और गीले कचरे के क्षेत्र का संग्रह, स्क्रीनिंग और पृथककरण सुनिश्चित करेगा। चयनित निविदादाता निर्धारित मानदंडों के अनुसार पृथककरण भी सुनिश्चित करेगा। निर्दिष्ट स्थान पर उचित निपटान निविदादाता की जिम्मेंदारी होगी। निविदादाता किसी भी तरह से उस स्थान के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

6.5 निविदादाता स्वयं या उसके कर्मचारियों या उपयोगकर्ता द्वारा पूरे परिसर को पहुँचाई गई किसी भी क्षति या हानि के लिए, कार्यकारिणी समिति को क्षतिपूर्ति करने हेतु बाध्य होगा, (यदि ऐसी संपत्तियों में ऐसा पाया जाता है तब की स्थिति में) तथा वह क्षतिपूर्ति, कार्यकारिणी समिति द्वारा तय किए गए प्रतिस्थापन मूल्य के अनुसार होगी। किसी भी

मामले में यदि वह राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे उसकी परफॉरमेंस सेक्यूरिटी राशि से वसूल किया जाएगा या फर्म को इसके लिए अलग से भुगतान करना होगा।

6.6 Banquet hall, कैफे एवं जिम के संचालन एवं रखरखाव के लिए मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किये बिना सुधार/मरम्मत/स्थापना/संशोधन आदि की लागत निविदादाता द्वारा वहन की जाएगी एवं कोई पक्का निर्माण कार्यकारिणी समिति की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। तथापि सौन्दर्यीकरण अथवा बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से कोई भी अस्थाई निर्माण कार्यकारिणी समिति की अनुमति से किया जा सकेगा। अनुबंध अवधि के दौरान निविदादाता द्वारा किए गए Bid के लिए अनुबंध अवधि की समाप्ति के दौरान या उसके बाद कार्यकारिणी समिति द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

6.7 Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट की संपत्ति के संचालन एवं रखरखाव हेतु आवश्यक लाइसेंस, अनुमति निविदादाता को प्राप्त करने होंगे।

7. अनुबंध की शर्ते एवं दायित्व

7.1 परिसर में पूर्णकालिक चौकीदार/चौकीदारों को रखा जाना आवश्यक होगा।

7.2 निविदादाता को शासन/प्रशासन, कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं समय–समय पर संशोधित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7.3 निविदादाता मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे स्नेक्स वेंडिंग मशीन, जूस कॉर्नर, और स्वास्थ्यपरक उत्पादों की स्थापना या आगंतुकों/सदस्यों के जलपान के लिए कोई अन्य गतिविधियां या चल संपत्तियां केवल निर्धारित परिसर में शामिल कर सकते हैं। जिसके लिये कार्यकारिणी समिति को सूचना देना अनिवार्य होगा।

7.4 निविदाकार द्वारा परिसर में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति आमतौर पर इसी प्रकार की परियोजनाओं में दी जाने वाली सेवाओं के समान होगी और अच्छी व्यापारिक परम्पराओं के अनुरूप होंगी।

7.5 विशेष परिस्थितियों जैसे– अनैतिक गतिविधियों का संचालन, कानून व्यवस्था को बिगाडने की स्थिति इत्यादि में किसी भी संस्था को किसी भी समय बिना कारण बताये आरक्षण रद्द करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति को होगा।

7.6 निविदादाता को केवल वयस्क और कुशल जनशक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए तथा बाल श्रमिक को नियुक्त नहीं करना चाहिए। निविदादाता केवल ऐसे श्रमिकों को नियुक्त करेगा, जिनके पूर्ववृत्त और चरित्र का पूरी तरह से सत्यापन किया गया हो तथा अन्य औपचारिकताएँ पूरी की गई हों। निविदादाता कार्यकारिणी समिति से सभी अपेक्षित अनुमोदन और अनुमति प्राप्त करने के लिए जिम्मेंदार होगा, जो ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू विभिन्न अधिनियमों और कानूनों के तहत आवश्यक या अपेक्षित हो सकते हैं। निविदादाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन (यथा ई.पी.एफ. आदि) सुनिश्चित करेगा।

7.7 चयनित निविदादाता विचाराधीन परियोजना स्थल को गिरवी, दृष्टिबंधक, बंधक, प्रभार, ग्रहणाधिकार नहीं करेगा।

7.8 कार्यकारिणी समिति /कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को आवश्यकता पड़ने पर या आवश्यक समझे जाने पर परिसर के निरीक्षण करने का अधिकारी होगा।

7.9 निविदादाता संपत्ति के संचालन और रखरखाव के लिए सभी अपेक्षित अनुमोदन, लाइसेंस और अनुमति आदि के लिए जिम्मेदार होगा। कार्यकारिणी समिति समय–समय पर ऐसे सभी अनुमोदन/अनुमति (यथा निर्माण कार्य, इलेक्ट्रिक कार्य आदि) प्रदान करेगी जिनकी निविदादाता को कार्य के निष्पादन और दायित्वों संबंध में आवश्यकता हो अथवा संबंधित विभागों से अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करने हेतु निविदादाता को निर्देशित करेगी।

7.10 कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से प्राकृतिक एवं सामयिक व्यवधानों से अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न व्यवधानों को उचित पाये जाने पर उक्त अवधि को निविदादाता की कार्य अवधि में बढ़ाया जा सकेगा।

7.11 कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा से 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात निविदादाता के आवेदन करने पर लीज अवधि में वृद्धि के लिए विचार किया जा सकता है। कार्यकारिणी समिति को लीज अवधि में वृद्धि करने या नहीं करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7.12 निविदादाता के लिए नैतिक संहिता, पेशेवर आचरण, बनाए रखना आवश्यक होगा।

7.13 निविदादाता परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा या ऐसा होने नहीं देगा। किसी भी परिस्थिति में निविदादाता परिसर में कोई बदलाव नहीं करेगा। यदि कोई बदलाव या नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई निविदादाता द्वारा की जावेगी।

7.14 निर्माण संबंधी समस्त संधारण के दायित्व का वहन निविदादाता द्वारा ही किया जावेगा। प्रत्येक 06 माह में कार्यकारिणी समिति के प्राधिकारी द्वारा नियुक्त यंत्रियो द्वारा Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट का निरीक्षण किया जावेगा, एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा दुरूस्ती/संधारण के लिये निविदादाता बंधनकारी होगा।

8. <u>Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के आवंटन हेतु शर्तें व अन्य प्रावधान</u>

8.1 किसी भी स्थिति में Banquet hall एवं कैफे को किसी भी ऐसे कार्यक्रम/प्रस्तुति के लिए आरक्षित नहीं किया जावेगा जिनसे शालीनता, लोकव्यवहार तथा सामाजिक आचरण व मान–मर्यादा का उल्लंघन होता हो।

8.2 जिस संस्था/संगठन को Banquet hall एवं कैफे आवंटित किया जावेगा, उसके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की गुणवत्ता तथा गरिमा सुनिश्चित की जाना होगी। ऐसे आयोजित कार्यक्रमों/प्रस्तुतियों में किन्हीं भी विवादित गतिविधियों की जिम्मेंदारी पूर्णतः संबंधित आरक्षरणकर्ता की होगी।

8.3 कलेक्टर जिला खण्डवा के अधिनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं की गतिविधियों के लिए Banquet hall प्राथमिकता के आधार पर एवं निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना, चयनित निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगा।

8.4 यदि किसी आयोजन के लिए जिला कलेक्टर अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक है तो आरक्षण आवेदन के साथ ऐसी पूर्वानुमति की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8.5 Banquet hall में समस्त मेंबर तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पारिवारिक कार्यक्रमों के लिये निःशुल्क उपलब्ध किया जावेगा। (सफाई एवं मेंटेनेंस शुल्क ले सकेंगें) इसके लिये संबंधित मेम्बर/कर्मचारी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

खण्डवा एवं सचिव निमाड क्लब समिति खण्डवा को 15 दिन पूर्व आवेदन देना होगा। इस हेतु चयनित निविदादाता द्वारा Banquet hall एवं कैफे को माह में अधिकतम 05 कार्यक्रमों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खण्डवा द्वारा दी गई लिखित सूचना उपरांत निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

8.6 चयनित निविदादाता, निमाड क्लब परिसर में होने वाले कार्यक्रमों/आयोजनों के समय आए हुए वाहनों की पार्किंग व्यवस्था का नियोजन इस प्रकार करने के लिए बाध्य होगा कि आवागमन में कोई बाधा न पहुँचे साथ ही परिसर के बाहर सड़क यातायात भी सुचारू बना रहे।

8.7 निमाड क्लब परिसर में आयोजित होने वाली समस्त गतिविधियों के लिए पार्किंग स्थल कॉमन रहेगा।

8.8 Banquet hall एवं कैफे संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8.9 Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट अधिकतम रात्रि 10:00 बजे तक ही उपलब्ध हो सकेगा।

8.10 कैफे में सभी मेम्बरर्स को (स्वयं की उपस्थिति एवं मेम्बर कार्ड प्रस्तुत करने पर) न्यूनतम **30 प्रतिशत** रियायत दी जावेगी।

8.11 धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का वितरण/उपयोग सर्वथा वर्जित होगा।

8.12 मांसाहार का वितरण/उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

8.13 परिसर का उपयोग विवाह कार्यक्रम के लिये नहीं किया जावेगा।

8.14 परिसर में डीजे एवं डीजे वाहन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

9. जिम संचालन हेतु निविदा (टेंडर) की नियम एवं शर्ते

9.1 कार्य का स्वरूप (Scope of work)

9.1.1 अवधारणा– समिति केवल रिक्त स्थान (Space) उपलब्ध कराएगी। सफल निविदाकार (Bidder) को अपने स्वयं के खर्च पर उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों और जिम उपकरण स्थापित करने होंगे।

9.1.2 स्वामित्वः– जिम की सभी मशीनों और फर्नीचर का मालिकाना हक वेंडर का होगा, लेकिन जिम का परिसर और भवन शासकीय संपत्ति रहेगा।

9.1.3 संचालनः– जिम का प्रबंधन ट्रेनर्स की नियुक्ति बिजली बिल का भुगतान और रखरखाव पूरी तरह से वेंडर की जिम्मेंदारी होगी।

9.1.4 ट्रेनर की नियुक्ति एवं योग्यता– जिम में महिला एवं पुरूष ट्रेनर्स की पृथक–पृथक नियुक्ति अनिवार्य होगी। जिम ट्रेनर का अनुभव प्रमाण पत्र एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेनिंग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

9.2 वित्तीय शर्ते और किराया (Financial&Rental Terms)

बिजली/पानी शुल्क– जिम परिसर में अलग से सब–मीटर लगाया जाएगा। वेंडर को प्रतिमाह वास्तविक खपत के अनुसार बिजलीं और पानी का बिल संबंधित विभाग को जमा करना होगा।

9.3 शासकीय कर्मचारियों हेतु विशेष रियायत (Mandatory Discount) –

9.3.1 रियायती दर– वेंडर आम जनता (General Public) के लिये जो भी मासिक शुल्क (Fee) तय करेगा, उस पर मेम्बर को न्यूनतम **50 प्रतिशत** की छूट देना अनिवार्य होगा।

9.3.2 परिवार को लाभ– मेम्बर के प्रत्यक्ष आश्रितों (पति/पत्नि एवं बच्चों को भी सदस्यता शुल्क में 30 प्रतिशत तक की छूट देनी होगी।

9.3.3 मेम्बर से कोई भी एडमिशन शुल्क या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। सदस्यता के लिये मेम्बर आईडी कार्ड अनिवार्य होगा।

9.4 उपकरणों की गुणवत्ता एवं मानक (Equipment Standards) –

9.4.1 मशीनें:– सभी मशीनें उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। पुरानी या मरम्मत की गई मशीनें स्वीकार्य
नहीं होगी।

9.4.2 ब्रांड उपकरण– प्रतिष्ठित ब्रांड (जैसे jerai, Viva, Being Strong, या समकक्ष) के होने चाहिए।

9.4.3 फ्लोरिंग एवं इंटीरियर– जिम में उच्च गुणवत्ता वाली रबर मैट (15–20) और पर्याप्त संख्या में दर्पण (Mirrors) लगाना वेंडर की जिम्मेंदारी होगी।

9.4.4 ध्वनि उपकरण सभी उच्च गुणवत्ता के लगाने होंगे (जैसे– Bose, JBL, Sony, Samsung, Philips इत्यादि)।

9.5 संचालन एवं सुरक्षा नियम (Operations & Safety) –

9.5.1 समय सीमा– जिम का समय शासकीय दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा (जैसे सुबह 5:00 से 10:00 बजे तक और शाम 4:00 से रात्रि 10:00 बजे तक)

9.5.2 ट्रेनर की योग्यता– नियुक्त जिम ट्रेनर के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटनेस सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है।

9.5.3 बीमा एवं दुर्घटना– जिम के अंदर किसी भी दुर्घटना या चोट के लिए वेंडर जिम्मेंदार होगा। वेंडर को सभी उपयोगकर्ताओं और मशीनों का तृतीय पक्ष बीमा (Third Party Insurance) करना होगा।

9.5.4 स्वच्छता– जिम परिसर में साफ–सफाई और अनुशासन बनाए रखना वेंडर का दायित्व है।

9.6 पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज (Eligibility & Documents) –

9.6.1 अनुभव– निविदादाता के पास जिम या स्पोर्ट्स क्लब चलाने का अनुभव होना चाहिए।

9.6.2 इस आशय का प्रमाण पत्र कि फर्म कभी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है, प्रस्तुत करना होगा।

10. <u>क्रिकेट टर्फ संचालक एवं संधारण हेतु नियम एवं शर्तें</u>

10.1 अवधारणा– विभाग केवल रिक्त स्थान (Space) उपलब्ध कराएगा। सफल निविदाकार (Bidder) को अपने स्वयं के खर्च पर क्रिकेट टर्फ का उच्च गुणवत्तापूर्वक निर्माण करना होगा।

10.2 क्रिकेट टर्फ हेतु निविदादाता को आवश्यक संरचना, नेटिंग, फ्लोरिंग, पिच इत्यादि आवश्यक व्यवस्थाओं में उच्च एवं मानक गुणवत्ता की निर्मित की जाना अनिवार्य होगी।

10.3 क्रिकेट टर्फ में आवश्यकता अनुसार विद्युत व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। रात्रि कालीन उपयोग हेतु एलईडी फ्लड लाइट पर्याप्त मात्रा में लगे होना चाहिए।

10.4 संचालनः– क्रिकेट टर्फ के संचालन हेतु पूर्णकालिक व्यक्ति की नियुक्ति की जाना अनिवार्य होगा। क्रिकेट टर्फ का संचालन प्रातः 06 से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।

10.5 अनुबंध समाप्ति पर निविदादाता उक्त संरचना को हटा सकता है अथवा संरचना निमाड क्लब समिति को सौंपने हेतु कार्यकारिणी समिति को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। कार्यकारिणी समिति आवेदन अनुसार क्रिकेट टर्फ संरचना को अपने आधिपत्य में लेने संबंधी विचार कर सकती है।

10.6 क्रिकेट टर्फ की बेस कांक्रीट गुणवत्तापूर्ण होना आवश्यक है, जिस पर आर्टिफिशियल ग्रास उच्चगुणवत्ता की लगी होना आवश्यक है।

10.7 क्रिकेट टर्फ की चारों ओर की फ्रेम मानक गुणवत्ता की होकर, फ्रेम की हाईट कम से कम 30 फीट होना आवश्यक है।

10.8 क्रिकेट टर्फ की चारों ओर की फ्रेम एवं उपर की नेट HDPE UV Stabilized होना चाहिए। साथ ही नेट के वायर 1.5 से 2 mm के होना चाहिए। जिसमें नेट में 25 से 40 mm से अधिक का गेप नहीं होना चाहिए।

10.9 क्रिकेट टर्फ उपयोगकर्ताओं हेतु बेट, बॉल, स्टम्प इत्यादि क्रिकेट किट संबंधी व्यवस्था रखी जाना अनिवार्य होगी।

10.10 निविदादाता को टर्फ क्रिकेट संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

10.11 क्रिकेट टर्फ संचालन हेतु विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त किया जाना निविदादाता के लिए अनिवार्य होगा।

10.12 किसी भी कण्डिका के उल्लंघन/नियम विरूद्ध गतिविधि पाये जाने पर कार्यकारिणी समिति द्वारा लिया गया निर्णय निविदादाता को मान्य होगा।

10.13 **शासकीय कर्मचारियों हेतु विशेष रियायत (Mandatory Discount)** –

- रियायती दर– वेंडर आम जनता (General Public) के लिये जो भी शुल्क (Fee) तय करेगा, उस पर मेम्बर को न्यूनतम **30 प्रतिशत** की छूट देना अनिवार्य होगा।
- मेम्बर से कोई भी अतिरिक्त एडमिशन शुल्क या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। सदस्यता के लिये मेम्बर आईडी कार्ड अनिवार्य होगा।

11. <u>पिकलबॉल कोर्ट संचालक एवं संधारण हेतु नियम एवं शर्ते</u>

11.1 निविदा दाता को पिकलबॉल कोर्ट संचालन हेतु केवल स्थल उपलब्ध कराया जावेगा। पिकलबॉल कोर्ट का निर्माण निविदादाता स्वयं को करना होगा।

11.2 पिकलबॉक कोर्ट हेतु निविदादाता को कोर्ट का निर्माण मानक मापदण्डों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता का कराया जाना आवश्यक होगा।

11.3 पिकलबॉल कोर्ट में आवश्यक विद्युत व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

11.4 पिकलबॉल कोर्ट के संचालन हेतु पूर्णकालिक कोच की नियुक्ति की जाना अनिवार्य होगा तथा कोच का पिकलबॉल/टेनिस/टेबल टेनिस कोर्ट अनुभव प्रमाण–प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11.5 पिकलबॉल कोर्ट का संचालन प्रातः 06 से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा।

11.6 पिकलबॉल कोर्ट कांक्रीट बेस के उपर सिन्थेटिक फ्लोर उच्च गुणवत्ता का तैयार किया जाना अनिवार्य होगा एवं चारों ओर सुरक्षा हेतु न्यूनतम 10 फीट उंचाई की फेंसिंग किया जाना आवश्यक होगा।

11.7 अनुबंध समाप्ति पर निविदादाता उक्त संरचना को हटा सकता है अथवा संरचना निमाड क्लब समिति को सौंपने हेतु कार्यकारिणी समिति को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। कार्यकारिणी समिति आवेदन अनुसार पिकलबॉल कोर्ट टर्फ संरचना को अपने आधिपत्य में लेने संबंधी विचार कर सकती है।

11.8 पिकलबॉल कोर्ट संचालन हेतु विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त किया जाना निविदादाता के लिए अनिवार्य होगा।

11.9 किसी भी कण्डिका के उल्लंघन/नियम विरूद्ध गतिविधि पाये जाने पर कार्यकारिणी समिति द्वारा लिया गया निर्णय निविदादाता को मान्य होगा।

11.10 **शासकीय कर्मचारियों हेतु विशेष रियायत (Mandatory Discount)** –

- रियायती दर– वेंडर आम जनता (General Public) के लिये जो भी मासिक शुल्क (Fee) तय करेगा, उस पर मेम्बर को न्यूनतम **30 प्रतिशत** की छूट देना अनिवार्य होगा।
- परिवार को लाभ– मेम्बर के प्रत्यक्ष आश्रितों (पति/पत्नि एवं बच्चों को भी सदस्यता शुल्क में 30 प्रतिशत तक की छूट देनी होगी)।
- मेम्बर से कोई भी अतिरिक्त एडमिशन शुल्क या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। सदस्यता के लिये मेम्बर आईडी कार्ड अनिवार्य होगा।

12. अनुबंध की अवधि एवं समाप्ति (Cotract Duration & Exit Clause) –

12.1 अवधि– अनुबंध प्रारंभिक तौर पर 10 वर्ष के लिये होगा, जिसे आपसी सहमति और संतोष जनक प्रदर्शन पर बढ़ाया जा सकता है।

12.2 पेनल्टी– यदि निविदादाता लगातार 2 महीने तक किराया जमा नहीं करता है या शर्तो का उल्लंघन करता है तो समिति 15 दिन का नोटिस देकर अनुबंध रद्द कर सकती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर सकती है।

12.3 निकासी– अनुबंध समाप्त होने पर वेंडर को 30 दिनों के भीतर अपनी मशीनें/संरचना हटानी होंगी और परिसर को मूल स्थिति में विभाग को सौंपना होगा।

13. अनुशासन एवं प्रतिबंध

13.1 Banquet hall, कैफे एवं जिम की परिसम्पत्तियों आदि को नुकसान पहुँचाने तथा पर न्यून्तम अर्थदण्ड राशि रूपए 10,000/– अक्षरी दस हजार रूपये निविदादाता पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

13.2 परिसर का उपयोग विवाह कार्यक्रम के लिये नहीं किया जावेगा।

13.3 परिसर में डीजे एवं डीजे वाहन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

13.4 सभी गतिविधि स्थलों पर Firstaid Box सुविधा रखना अनिवार्य होगा।

13.5 सभी गतिविधि स्थलों पर शासन नियमानुसार अग्निशमन यंत्र रखा जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन यंत्र हमेशा भरा होना चाहिए एवं एक्सपायरी डेट के नहीं होना चाहिए।

13.6 बिजली/पानी के सब मीटर की आवश्यकता होने पर निविदादाता को स्वयं लगाये जाने होंगे तथा उनके मासिक देयकों का भुगतान भी समय पर संबंधित संस्था/विभाग को किया जाना अनिवार्य होगा।

14. <u>विवाद समाधान एवं अधिकार क्षेत्र</u>

14.1 निविदा प्रपत्र, मासिक किराये के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्तों का उल्लघंन किये जाने की दशा में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो कार्यकारिणी समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। जिसे निविदादाता को मान्य करना होगा।

14.2 न्यायिक विवादों के लिए अधिकार क्षेत्र खण्डवा न्यायालय रहेगा।

14.3 निमाड़ क्लब समिति खण्डवा की कार्यकारिणी समिति को मार्गदर्शी नियमों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

भाग चार : निविदा प्रपत्र–1

(इसे लिफाफा 'ए'/पेकेट–1 में प्रस्तुत किया जाए)

निमाड़ क्लाब समिति के Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु 10 वर्ष के लिये मासिक किराये के अंतर्गत निविदा आमंत्रण

पोर्टल टेण्डर नंबर ....

निविदा आमंत्रण प्रपत्र

प्रति,

अध्यक्ष एवं कलेक्टर
निमाड़ क्लब समिति
जिला खण्डवा (म.प्र.)

निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम ....

निविदा प्रस्तुतकर्ता के पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं

महोदय,

आपके विज्ञापन क्रमांक ....दिनांक ....पोर्टल टेण्डर नंबर ....निमाड़ क्लाब समिति के Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव उपयोग के Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट को मासिक किराये के आधार पर आवंटन के लिए है। इस निविदा प्रपत्र के एकीकृत भाग के रूप में Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव उपयोग के Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट को मासिक किराये के आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहता हूं / चाहते हैं। मेरे/हमारे द्वारा कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी निविदा प्रपत्र के सभी निबन्धनों तथा शर्तों को पढ़कर स्पष्टतः समझ लिया गया हैं तथा पूर्णतः विधिवत स्वीकार कर लिया गया है तथा उनका पालन करने हेतु सहमति व्यक्त करता हूं / करते हैं एवं इस निविदा प्रपत्र के निबन्धनों तथा शर्तों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न कर अपने बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूं / रहे हैः

निविदादाता का विवरण

1)(अ) निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम : 1 ....
2 ....

1)(ब) पिता/पति का नाम : 1 ....
2 ....

2)(अ) यदि निविदा कम्पनी /फर्म/संयुक्त उद्यम किसी अन्य संस्था के नाम से प्रस्तुत की जा रही है तो इसका नाम लिखें ....
....

2)(ब) निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म /कम्पनी के निदेशक ....
/निर्देशकों : के नाम (कम्पनी / फर्म / किसी अन्य संस्था के प्रकरण में) ....
....

3) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता ....
पिनकोड..

दूरभाष/मोबाईल ....
(कार्यालय) ....(निवास) ....

ई–मेल ....

2) हमने यह निविदा प्रारूप विज्ञप्ति अंतर्गत ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

3) मेरी/हमारी निविदा इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेंगीं।

4) मैं/हम अपनी निविदा के संबंध में निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) के रूप में, रूपये 5,00,000/– (पांच लाख) का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया गया है। मुझे /हमे यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा अपरिवर्तनीय है (Irrevocable) है तथा यदि हमारे द्वारा इसे प्रतिसंहत किया जाता हैं तो इस निविदा के साथ जमा की गई निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) समपहृत कर ली लाएगी।

5) मैं/हम यहां यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि लिफाफा 'ए' में प्रदत्त समस्त जानकारी सत्य तथा सही है तथा प्रदत्त की गई जानकारी के बारे में पूर्ण दायित्व लेता हूं/लेते हैं तथा यह सहमति भी प्रदान करता हूँ/करते हैं कि कार्यकारिणी समिति को ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जैसी कि आवश्यक हो अथवा निविदा को पूरक किये जाने के संबंध में अथवा इसे सत्यापन किये जाने बाबत् चाही जाने पर हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगा। यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि इस निविदा की अर्हताओं के अनुसार इस निविदा के लिये अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योग्यता धारित करता हूं/करते हैं। यह भी अवगत है कि हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/तथ्यों का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण (Misrepresentation of facts) पाया जाता है तो कार्यकारिणी समिति को हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को निरस्त करने का तथा निविदा की EMD राशि (Earnest Money Deposit) को समपहृत (राजसात)करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

6) मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि कार्यकारिणी समिति इस निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा न ही वह किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य है तथा न ही निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को निविदा प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किये जाने हेतु बाध्य है तथा यह भी कि वह बिना कोई कारण दर्शाये हमारी निविदा को रद्द तथा एतद्वारा किसी भी कारण से, भले वह जो भी हो, से इसे चुनौती प्रदान करने संबंधी हमारे अधिकार के अधित्यजन (waiver) का अधिकार रखता है।

7) मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं /करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से भिन्न ऐसे मामलों में, जो मुझे / हमें न तो किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा न ही किसी नियामक कार्यकारिणी समिति ने मुझे/हमें आरोपी ठहराया है तथा न ही मेरे / हमारे विरूद्ध कोई प्रतिकूल आदेश परित किये हैं, जो इस निविदा के लिये आवेदन किये जाने बाबत मेरी/ हमारी पात्रता के बारे में किसी प्रकार का सन्देह प्रकट कर सके या किसी गंभीर अपराध से संबद्ध हो, जो समाज की नैतिक भावना का उल्लंघन करता हो। मैं/ हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते है कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों में सरकार के किसी अभिकरण द्वारा मुझे/ हमें न तो कोई आरोप – पत्र जारी किया है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे/हमारे द्वारा किये गये किसी अपराध के संबंध में मुझे /हमें दोषी ठहराया गया है।

8) मैं / हम यह भी स्वीकार करता हूं / करते हैं कि मैं / हम आवंटित Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव का उपयोग मासिक किराये के निबंधनों तथा शर्तो एवं राज्य के और/या परिनियम के अंतर्गत गठित किसी अन्य अभिसरण की प्रयोज्य विधियों तथा विनियमों का कढ़ाई से पालन करूंगा/करेंगे। हमारे द्वारा ऐसे लीज अधिकार के समस्त निबंधनों तथा शर्तों से सहमति भी व्यक्त की जाती है जिसका निष्पादन Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव का आवंटन होने पर किया जाएगा।

9) मैं / हम, सम्पत्ति के बारे में मेरी / हमारी बिना शर्त तथ अनर्हित (unconditonal and unqualified) निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूं / करते हैं :–

मासिक किराये की दर (अंको में)	**दर केवल ऑनलाईन वेबसाईट पर दर्ज करना हैं, यहां पर नही**

उपरोक्त साक्ष्य में, मैं / हम निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन Banquet hall, कैफे एवं जिम के संचालन एवं रखरखाव के आवंटन के संबंध में यह निविदा प्रस्तुत करता हूं/ करते हैं।

भवदीय,

....

दिनांक : निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

....

यदि निविदा प्रस्तुत करने वाली कोई कम्पनी/ संस्था/किसी अन्य परिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था हो, उसकी मुद्रा (सील) लगाई जाए :

भाग पांच :
तकनीकी बिड हेतु आवश्यक दस्तावेज
(इसे लिफाफा 'ए'/पेकेट–1 में प्रस्तुत किया जाए)

1. **निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) हेतु रूपये 5,00,000** (पांच लाख) राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जाकर उसकी प्रति।
2. अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज।

अ. किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रकृत कम्पनी/संस्था/फर्म/सोसायटी हेतु

1) इकाई द्वारा निविदा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित कि जाने संबंधी संकल्प।
2) इकाई के निगमन (incorporation) का प्रमाण (संस्था के ज्ञापन तथा लेख/भागीदारी विलेख/न्यास विलेख/सोसाइटी/संगठन/संयुक्त उद्यम आदि के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज आदि)
3) यदि इसमे Consortium या Joint Venture के रूप में भाग ले रहे हैं तो संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज
4) निविदाकार संस्था/फर्म के संबंधितों के आधार कार्ड एवं पेनकार्ड की सत्यापित प्रति।
5) निविदाकार संस्था/फर्म का पूर्ण पता, दूरभाष नंबर एवं एड्रेस प्रुफ।
6) फर्म/संस्था कभी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है इस बाबत शपथ पत्र की प्रति संलग्न करें।

ब. अन्य दस्तावेज

1) **भाग एक** : Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबद (दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की जाए)
2) **भाग–दो** : शपथ–पत्र हेतु प्रपत्र (शपथ पत्र को रूपये 1000/–के गैर–न्यायिक स्टाम्प (Non-judicial stamps) पर सम्यक् नोटरी प्रमाणीकरण पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)
3) **भाग–तीन** : Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रख–रखाव के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें (दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की जाए)
4) **भाग चार** : निविदा प्रपत्र–1 (निमाड़ क्लाब समिति के Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु 10 वर्ष के लिये मासिक किराये के अंतर्गत निविदा आमंत्रण)
5) जिम में लगाई जाने वाली सभी मशीनें पुरानी या मरम्मत की गई न होकर उच्च्च गुणवत्ता प्रतिष्ठित ब्रांड (जैसे jerai, Viva, Being Strong, या समकक्ष) की लगाये जाने का शपथ पत्र संलग्न करें।
6) जिम में ध्वनि उपकरण सभी उच्च्च गुणवत्ता (जैसे– Bose, JBL,Sony, Samsung, philips या समकक्ष) के लगाये जाने का शपथ पत्र संलग्न करें।
7) ट्रेनर की नियुक्ति एवं योग्यता– जिम में महिला एवं पुरूष ट्रेनर्स की पृथक–पृथक नियुक्ति अनिवार्य होगी। जिम ट्रेनर का अनुभव प्रमाण पत्र एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेनिंग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

8) जिम के अंदर उपयोगकर्ता और मशीनों तृतीय पक्ष बीमा (Third Party Insurance) कराने का शपथ पत्र होगा संलग्न करें।
9) अनुभव– निविदादाता के पास जिम या स्पोर्ट्स क्लब चलाने का ट्रेनिंग प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
10) Banquet hall / कैफ संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
11) Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट की संपत्ति के संचालन एवं रखरखाव हेतु सभी आवश्यक लाइसेंस एवं अनुमति प्राप्त करने का शपथ पत्र की प्रति संलग्न करें।
12) केवल वयस्क और कुशल तथा जिनके पूर्ववृत्त और चरित्र का पूरी तरह से सत्यापन किया गया हो ऐसी जनशक्ति को ही नियुक्त किया जाने का शपथ पत्र संलग्न करें।
13) किसी भी ऐसे कार्यक्रम/प्रस्तुति जिनसे शालीनता, लोकव्यवहार तथा सामाजिक आचरण व मान–मर्यादा का उल्लंघन होता हो के लिए निमाड क्लब को आरक्षित नहीं किया जावेगा के संबंध में शपथ पत्र संलग्न करें।
14) धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का वितरण/उपयोग सर्वथा वर्जित रखने एवं मांसाहार का वितरण तथा उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रखे जाने, परिसर का उपयोग विवाह कार्यक्रम के लिये नहीं किये जाने एवं परिसर में डीजे एवं डीजे वाहन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रखने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करें।
15) बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट हेतु उपलब्ध कराए स्थल पर मानक गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराये जाने एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करें।
16) पिकलबॉल कोर्ट के संचालन हेतु नियुक्त किये जाने वाले पूर्णकालिक कोच (पिकलबॉल/टेबलटेनिस/टेनिस) का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
17) टर्फ क्रिकेट संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
18) अन्य कोई दस्तावेज (जैसा कि **कार्यकारिणी समिति** द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए)

.

निविदादाता के लिए निर्देश

(अ) सामान्य निर्देश

1. ई–टेण्डरिंग में भाग लेने हेतु प्रक्रिया

ई–टेण्डरिंग में भाग लेने हेतु प्रक्रिया की जानकारी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है (अनुलग्नक–ए) ।

2. निविदा से संबंधित समस्त व्यय निविदा से संबंधित समस्त व्यय निविदा तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में जो भी व्यय होगा वह निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा एवं उक्त व्यय के सबंध में निविदादाता को कोई भी कानूनी वाद / दावा प्राधिकारी के विरूद्ध प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।
3. Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट का भौतिक सत्यापन निविदा प्रस्तुतकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के भौतिक निरीक्षण के पश्चात निविदा प्रस्तुत करें। निविदा स्वीकृति पश्चात कोई भी आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।

(ब) निविदा प्रपत्र

1– निविदा प्रपत्र की विषय सूची

निविदा प्रपत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज सम्मिलित है :

1) निविदा आमंत्रण विज्ञापन / विज्ञप्ति
2) निविदादाता के लिये निर्देश
3) ई–टेण्डर में भाग लेने हेतु प्रक्रिया
4) निविदा प्रपत्र / दस्तावेज जिसमें निम्नानुसार पांच भाग सम्मिलित है:
   - अ. भाग एक : Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट हेतु निविदा प्रस्तुत बाबद निर्देश
   - ब. भाग दो : शपथ पत्र का प्रपत्र
   - स. भाग तीन : Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्ते
   - द. भाग चार : निविदा पत्र
   - ई. भाग पांच : तकनीकी बिड हेतु आवश्यक दस्तावेज
5) अन्य कोई दस्तावेज, यदि उल्लेखित हो तो

2– निविदा विज्ञापन / दस्तावेजों का संशोधन

1) निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पूर्व प्राधिकारी द्वारा निविदा विज्ञापन / दस्तावेज में यदि कोई सुधार / संशोधन किया जाता है तो वह सुधार / संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा केवल ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल https://www.mptenders.gov.in पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।
2) सभी सुधार / संशोधन निविदा प्रपत्र / दस्तावेज के अभिन्न अंग होंगे।

(स) प्रपत्र / दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1- निविदादाता आमंत्रित निविदा विज्ञापन / दस्तावेज में उल्लेखित प्रमुख तिथियों के अनुसार ही अपनी निविदा को ऑनलाईन लिफाफे एवे दस्तावेज आदि तैयार कर अपनी निविदा संबंधित लिफाफे में दस्तावेंजो के साथ अधिकृत व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा वेबसाईट पर अपलोड करें।

2- निविदा दस्तावेज .

निविदादाता को ऑनलाईन निविदा निम्नानुसार लिफाफा–ए, लिफाफा–बी व लिफाफा–सी अनुसार हार्डकॉपी कार्यालय जिला पंचायत खण्डवा में निर्धारित दिनांक/समय तक प्रस्तुत करना होगी :

<u>लिफाफा –ए : पात्रता लिफाफा</u>

पात्रता लिफाफे में अनिवार्य रूप से निम्नानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज :

1) निविदा प्रपत्र का भाग एक : Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश
2) निविदा प्रपत्र का भाग दो : शपथ पत्र का प्रपत्र
3) निविदा प्रपत्र का भाग तीन : Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्ते
4) अ) निविदा प्रपत्र शुल्कः निविदा प्रपत्र शुल्क एवं EMD राशि (Earnest Money Deposit) का भुगतान
   ब) EMD राशि (Earnest Money Deposit) की राशि ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जा सकेगा
5) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हो उसे निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का स्केन्ड नोटरीकृत शपथ–पत्र
6) निविदादाता यदि कंपनी /फर्म/संस्था हैं तो संबंधित समस्त दस्तावेज
   अ) इकाई द्वारा निविदा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी स्केन्ड स्वप्रमाणित संकल्प।
   ब) इकाई के निगमन (incorporation) प्रमाण (संस्था के ज्ञापन तथा लेख/भागीदारी विलेख/न्यास विलेख/सोसाइटी/संयुक्त उद्यम के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज आदि) की स्केन्ड स्वप्रमाणित प्रति।
7) निविदाकार संस्था/फर्म के संबंधितों के आधार कार्ड एवं पेनकार्ड की सत्यापित प्रति।
8) निविदाकार संस्था/फर्म का पूर्ण पता, दूरभाष नंबर एवं एड्रेस प्रुफ।
9) प्री बिड मिटिंग हेतु प्रजेंटेशन की प्रति।
10) यदि इसमे Consortium या Joint Venture के रूप में भाग ले रहे हैं तो संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज
11) अन्य कोई दस्तावेज (जैसा कि **कार्यकारिणी समिति** द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए)

<u>लिफाफा– बी : निविदा लिफाफा</u>

लिफाफा–बी मे केवल निम्न दस्तावेज रखें (अन्य कोई भी दस्तावेज न रखें) :

1) निविदा प्रपत्र का भाग चार : निविदा प्रपत्र (<u>दर केवल ऑनलाईन वेबसाईट पर दर्ज करना हैं, फिजिकल फार्म में नहीं देना)</u>

<u>लिफाफा – सी :</u> लिफाफा सी आवरण लिफाफे में लिफाफ–ए तथा लिफाफा–बी रखा जावेगा।

3- भाषा

निविदा प्रपत्र एवं अन्य पत्राचार तथा निविदा दस्तावेज की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी में होगी जो प्राधिकारी एवं निविदादाता पर समान रूप से लागू होगी। कोई दस्तावेज जो अन्य भाषा में हो तो उसे हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद कर प्रस्तुत करना होगा।

4- वित्तीय बोली (निविदा दर/मूल्य)

निविदादता को Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट की प्रतिमाह किराया की दर ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगी। हार्डकॉपी अर्थात् भौतिक दस्तावेजों के साथ Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट की दर प्रस्तुत नहीं करना है।

5- निविदा की वैधता

निविदाएं, निविदा प्राप्ति की नियत तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

6- EMD राशि (Earnest Money Deposit)

1) निविदा प्रस्तुतकर्ता को विज्ञापन/निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) ऑनलाईन जमा करना होगी तथा ऑनलाईन जमा रसीद की स्केन्ड कॉपी पोर्टल पर अपलोड भी करना होगी।

2) निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) की राशि का भुगतान केवल ऑनलाईन किया जाना होगा।

3) निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) की राशि के भुगतान किये बिना प्रस्तुत निविदा अस्वीकार होगी।

4) अन्य निविदा प्रस्तुतकर्ता, जिनकी निविदाएं स्वीकार न की गई हो, निविदा खोलने की तारीख से 02 माह के भीतर निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) की राशि लौटा दी जावेगी।

(द) निविदा को प्रस्तुत करना

निविदादाता को अपनी निविदा के दोनों भाग अर्थात् लिफाफा–ए एवं लिफाफा–बी में सम्मिलित समस्त दस्तावेज तथा निविदा प्रपत्र शुल्क एवं EMD राशि (Earnest Money Deposit) जमा ऑनलाईन रसीद स्केन करना होगी तथा स्केन्ड कॉपी डिजिटल सिग्रेचर के द्वारा वेबसाईट पर अपलोड करना आवश्यक है तथा ये सभी दस्तावेज फिजिकल फॉर्म में भी निविदा के लिफाफा–सी (आवरण लिफाफा) में निर्धारित दिनांक तक कार्यालय जिला पंचायत खण्डवा में जमा करना आवश्यक है। <u>(दर केवल ऑनलाईन वेबसाईट पर दर्ज करना हैं, फिजिकल फार्म में नहीं देना)</u>

(ई) निविदा प्रपत्रों को खोलना

निविदा प्रपत्र को खोलने की प्रक्रिया

1. निविदा खोलने के प्रथम चरण में निर्धारित दिनांक व समय अनुसार केवल लिफाफा–ए पात्रता लिफाफे को खोला जावेगा तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा।
2. आवश्यक अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों, निविदा दस्तावेज शुल्क तथा निविदा EMD राशि (Earnest Money Deposit) के बिना प्रस्तुत निविदा अस्वीकार होगी
3. तकनीकी बिड के लिये **<u>पात्रता हेतु अंको का निर्धारण अनुलग्नक–बी</u>** के अनुसार किया जावेगा। जिसमें कम से कम 60 अंक प्राप्त करने वाले निविदादाता ही वित्तीय बिड खोले जाने हेतु पात्र होगे।
4. दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात निर्धारित दिनांक व समय अनुसार केवल पात्र पाये गये निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के निविदा लिफाफा अर्थात् लिफाफा – बी को खोला जावेगा।
5. ऐसे निविदा प्रस्तुतकर्ता जो निविदा लिफाफा (लिफाफा–बी) को खोलने के समय उपस्थित रहने को इच्छुक हो, वे निविदा खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते है।
6. प्रस्तुत की गई निविदा की परिणाम निविदा खोलने के अधिकतम 90 दिवस या इसके पूर्व घोषित किया जाएगा एवं इसे कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
7. कार्यकारिणी समिति को किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(अनुलग्नक–ए)

ई–पेमेंट में भाग लेने हेतु प्रक्रिया

1. निविदादाताओं का ई टेण्डर प्रणाली में पंजीकरण :

   सभी निविदादाताओं को ई–प्रोक्यूरमेट पोर्टल www.mptenders.gov.in पर रजिस्टर्ड करना आवश्यक होगा।

2. डिजिटल सर्टिफिकेटः

   निविदादाता की पहचान हेतु निविदादाता को इलेक्ट्रिानिकली क्लास–3 डिजिटल प्रमाण पत्र के साथ निविदा आनॅलाईन प्रस्तुत करनी होगी। निविदाता क्लास–3 डिजिटल प्रमाण–पत्र भारत सरकार के प्रमाणीकरण कार्यकारिणी समिति नियंत्रक के द्वारा अधिकृत प्रमाणीकरण कार्यकारिणी समिति से प्राप्त किया जा सकता है। यह क्लास–3 डिजिटल प्रमाण–पत्र निर्धारित आवेदन अनिवार्य दस्तावेजो के साथ जमा करने के उपरांत प्रदाय किया जात है। अधिक जानकारी हेतु कृपया बेबसाईड cca.gov.in देखें।

टीपः–

A. प्रायः 7 कार्यकारी दिवस में क्लास–3 डिजिटल प्रमाण–पत्र प्रदाय किया जाता है, अतः निविदादाता को परामर्श दिया जाता है कि वे शीघ्र उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करे। वे निविदादाता जिनके पास पूर्व से ही बैध क्लास 3 डिजिटल प्रमाण पत्र है उन्हे दूसरा डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नही होगी। डिजिटल प्रमाण–पत्र के संबंध में अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने हेतु बेबसाईट cca.gov.in देखें।

B. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक निविदादाता अपनी निविदा को प्रस्तुत कर सकेगा। निविदादाता को अपनी निविदा प्रस्तुत करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

C. भागीदारी फर्म/रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/संस्था के अधिकृत डिजिटल प्रमाण पत्र धारी व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रस्तुतीकरण के समय जो डिजिटल प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। उसे संबधित फर्म/कंपनी संस्था से पॉवर ऑफ अटार्नी अधिकारी पत्र प्रस्तुत करना होगा।

D. निविदाओ के भागीदारी फर्म होने पर समस्त भागीदारों द्वारा किसी एक व्यक्ति को अधिकृत करने हेतु अधिकार जारी किया जावेगा। निविदादाता प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी /पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होने पर कम्पनी द्वारा पारित संकल्प अनुसार अधिकृत व्यक्ति हेतु जारी अधिकार पत्र मान्य होगा। जब तक कि अधिकार पत्र वापस न लिया जाए तब तक यह माना जावेगा कि संबधित संस्थान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही ऑनलाईन निविदा इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अतर्गत प्रस्तुत की गई है। इस अधिकृत व्यक्ति को डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अधिकृत व्यक्ति द्वारा डिजिटल प्रमाण–पत्र के माध्यम से प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा जा निविदा प्रस्तुत की गई है। वह फर्म/कंपनी/संस्था पर बंधनकारक होगी। यदि फर्म/कंपनी/संस्था द्वारा निविदा प्रस्तुत करने हेतु पूर्व अधिकृत व्यक्ति के स्थान पर नए अधिकृत व्यक्ति को नया डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो फर्म/कंपनी/संस्था के मैनेजमेंट/भागीदारों की यह जबाबदारी होगी कि वे प्रमाणीकरण कार्यकारिणी समिति सूचित करे।

3. प्रमुख तिथियां:

प्राधिकारी द्वारा निविदा के विभिन्न चरण जैसे निविदा प्रपत्र क्रय करने की अवधि व समय तथा निविदा का प्रस्तुत करने का समय एवं दिनांक तथा निविदा समाप्ति का समय एवं दिनांक निविदा के चरणों के अनुसार बंद कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में निविदादाता को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने कार्य एवं जिम्मेदारी के साथ निविदा में भाग लेने हेतु निविदा में उल्लेखित सभी प्रमुख तिथियों का पालन सख्ती से करे।

4. निविदा तैयार एवं प्रस्तुत करना:

निविदादाता आमंत्रित निविदा विज्ञापन/दस्तावेज में उल्लेखित प्रमुख तिथियों के अनुसार ही अपनी निविदा को ऑनलाईन संबधित लिफाफे एवं दस्तावेज आदि तैयार कर अपनी निविदा संबंधित लिफाफे मे दस्तावेजों के साथ अधिकृत व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा वेबसाईट पर अपलोड करेगा।

5. निविदा प्रपत्र को क्रय करना:

निविदादाता को निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु निर्धारित सर्विस चार्ज ऑनलाईन जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र का शुल्क एन.आय.टी. मे पृथक से उल्लेखित किया गया है। निविदा प्रपत्र संबंधित निविदादाताओं को निविदा ऑनलाईन जारी हाने के समय एवं तारीख से प्रमुख तिथियों के अनुसार क्रय करने हेतु उपलब्ध होगी। निविदा प्रपत्र के शुल्क का भुगतान ऑनलाईन डेबिट /क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिग के माध्यम से करना होगा।

6. निविदा की वापसी, प्रतिस्थापना एवं परिवर्तन करना:

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक निविदादाता अपनी निविदा को ऑनलाईन वापिस लेकर परिवर्तित कर जमा कर सकेगा।

(अनुलग्नक–बी)

निमाड़ क्लब समिति, खंडवा के Banquet hall, कैफे, जिम, बॉक्स क्रिकेट टर्फ एवं पिकलबॉल कोर्ट की तकनीकी बिड के अंको का निर्धारण

क्रमांक	विवरण	कुल अंक
01	टर्फ क्रिकेट संचालन का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र	**10**
02	Banquet hall / कैफ संचालन का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र	**10**
03	जिम या स्पोर्ट्स क्लब चलाने का 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र	**10**
04	जिम संचालन हेतु नियुक्त किये जाने वाले पुरूष एवं महिला (दोनों) ट्रेनर का मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेनिंग प्रमाण–पत्र	**10**
05	जिम संचालन हेतु नियुक्त किये जाने वाले पुरूष एवं महिला (दोनों) ट्रेनर का 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र	**10**
06	पिकलबॉल कोर्ट संचालन हेतु नियुक्त किये जाने वाले पूर्णकालिक कोच (पिकलबॉल / टेबलटेनिस / टेनिस) का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र।	**10**
07	तकनीकि मिटिंग के दौरान PPT प्रस्तुतीकरण का कार्यकारिणी समिति द्वारा मूल्यांकन	**40**
	कुल योग अंक	**100**

वित्तीय बिड के पात्रता :–

1. **कुल 100 अंकों में से कम से कम 60 अंक प्राप्त करने वाले निविदादाता ही वित्तीय बिड खोले जाने हेतु पात्र होंगे।**
2. **भाग–पांच में उल्लेखित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

निमाड़ क्लब समिति खण्डवा

टेक्निकल–मिटिंग के दौरान कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रेजेंटेशन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाने वाली जानकारी का प्रारूप

- पूर्व अनुभव (यदि हो तो)
- संचालन एवं संधारण हेतु कार्ययोजना
- अधोसंरचना का प्रयोग और कैसे इसे लाभदायी बनाया जाएगा
- मार्केटिंग एवं प्रमोशन की योजना

नोटः–उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर जानकारी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भी संबंधित जानकारियां प्रस्तुत की जा सकती है। कार्यकारिणी समिति के पास उक्त प्रेजेटेशन के मूल्यांकन के आधार पर किसी निविदाकार को इसी स्तर पर रिजेक्ट करने का अधिकार होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by DILEEP KUMAR KAITHWAS
Date: 2026.05.05 21:55:03 IST
Location: Madhya Pradesh-MP